



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-23092026-276406
CG-TL-E-23092026-276406

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4989]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2026/भाद्र 30, 1948

No. 4989]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2026/BHADRA 30, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 21 सितंबर, 2026

का.आ. 5195(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, तेलंगाना राज्य के कामारेडु जिले में सिरनापल्ली और उप्पलवाई स्टेशनों के बीच विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् मुदखेड-डोन रेलपथ दोहरीकरण के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी इच्छा की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितप्रद्ध कोई भी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (1) के अंतर्गत उपर्युक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.

ऐसी प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी और भूमि अधिग्रहण अधिकारी, कामारेडु को लिखित रूप में दी जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच

करने के बाद, यदि सक्षम प्राधिकारी यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उप-धारा (II) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उपर्युक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति द्वारा इनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची -I

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण : यात्री और माल ढुलाई सुविधा के लिए कामारेड्डी डिवीजन, कामारेड्डी जिला, रामारेड्डी मंडल के क्षेत्राधिकार में मेड्चल से मुदखेड सेक्शन के बीच रेलपथ दोहरीकरण के लिए अतिरिक्त भूमि

गांव : गिद्धा		मंडल : रामारेड्डी		जिला : कामारेड्डी
क्र.सं.	भूमिधारक का नाम	सर्वेक्षण सं.	भूमि अधिग्रहण क्षेत्र एकड़ गुंटा में	मामले का विवरण
1	वेमुलापल्ली शिव तेजस्विनी सुपुत्री वेमुलापल्ली कोटेश्वर राव	105	0.0050	रामारेड्डी तहसीलदार के दि.15.09.2026 के पत्र सं. बी/708/2026 के एंजॉयमेंट रिपोर्ट के अनुसार.
2	वेमुलापल्ली शिव तेजस्विनी सुपुत्री वेमुलापल्ली कोटेश्वर राव	106	0.09	
3	कोत्ताला लावण्या पत्नी रवि	107	0.09	
4	सरकारी भूमि	136	0.07	
5	श्रीनिवास राव सुपुत्र भगवंत राव	137	0.02	
6	बोंथापल्ली मुरलीधर राव पुत्र भगवंत राव	137	0.02	
7	वीकेआर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	138	0.20	
गाँव का कुल			एकड़ 1.0950 गुंटा	

गांव : उप्पलवाई			मंडल : रामारेड्डी		जिला : कामारेड्डी
क्र. सं.	भूमिधारक का नाम	सर्वेक्षण सं.	भूमि अधिग्रहण क्षेत्र एकड़ गुंटा में	मामले का विवरण	
1	शिकम	391	0.18	रामारेड्डी तहसीलदार के दि.15.09.2026 के पत्र सं. बी/708/2026 के एंजॉयमेंट रिपोर्ट के अनुसार.	
गांव का कुल			एकड़ 0.18 गुंटा		

अनुसूची -II
सार्वजनिक प्रयोजन की प्रकृति अनुसार विवरण

परियोजना का नाम :	इस परियोजना के अंतर्गत यात्री और माल ढुलाई सुविधा कार्य के लिए कामारेड्डी डिवीजन, कामारेड्डी जिला क्षेत्राधिकार में मेडचल – मुदखेड सेक्शन के बीच रेलपथ दोहरीकरण
भूमि अधिग्रहण एजेंसी के विवरण :	उप मुख्य इंजीनियर, दक्षिण मध्य रेलवे (निर्माण), निज़ामाबाद, सिकंदराबाद
जनता के लिए लाभ :	कामारेड्डी डिवीजन, कामारेड्डी जिले के रामारेड्डी मंडल में मेडचल – मुदखेड सेक्शन के बीच प्रस्तावित रेलपथ दोहरीकरण कनेक्टिविटी में सुधार के साथ-साथ रोजगार में वृद्धि करने की अपेक्षा है. (वित्तीय, रोजगार, बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और अन्य लाभों के संबंध में).

[फा. सं. W.Con.182/SRP-06/MUE-DHNE/23-24/247/20A/21092026]

बी.कृष्णा रेड्डी, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-III

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 21st September, 2026

S.O. 5195(E).— In exercise of the power conferred by sub-section (I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereafter referred as in as the said Act), Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, Mudkhed - Dhane Doubling in of Track between Sirnapalli and Uppalavai Stations in Kamareddy district in the state of Telangana, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub- section (1) of section 20D of the said act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely Revenue Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Kamareddy in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE-I

Description of Land in Acquisition: Additional land for Doubling of track between Medchal to Mudkhed Section within the limits of Kamareddy Division, Kamareddy District Ramareddy Mandal jurisdiction for passenger and freight facility.

Village: Gidda		Mandal: Ramareddy	District: Kamareddy	
Sl. No	Name of the Land Holder	Sy.No.	Land Acquisition Area	Details of the Case
			in Ac.gts	
1	Vemulapally Shiva Tejaswini D/o Vemulapally Koteswar Rao	105	0.0050	As per the enjoyment report of Tahsildar, Ramareddy Lr No B/ 708/2026 Dtd 15.09.2026
2	Vemulapally Shiva Tejaswini D/o Vemulapally Koteswar Rao	106	0.09	
3	Kottala Lavanya W/o Ravi	107	0.09	
4	Govt Land	136	0.07	
5	Srinivasa Rao S/o Bhagavanth Rao	137	0.02	
6	Bonthapally Muralidhar Rao S/o Bhagavanth Rao	137	0.02	
7	VKR Projects Private Limited	138	0.20	
Village Total			Ac 1.0950 gts	

Village: Uppalwai			Mandal: Ramareddy	District: Kamareddy
Sl. No	Name of the Land Holder	Sy.No.	Land Acquisition Area	Details of the Case
			in Ac.gts	
1	Shikam	391	0.18	As per the enjoyment report of Tahsildar, Ramareddy Lr No B/ 708/2026 Dtd 15.09.2026
Village Total			Ac 0.18 gts	

SCHEDULE – II

Statement as to nature of Public Purpose

Project Name	Doubling of track between Medchal – Mudkhed Section in Kamareddy Division, Kamareddy District jurisdiction for passenger and freight facility work under this project
Details of land Acquisition Agency	Dy.Chief Engineer, South Central Railway (Const.), Nizamabad at Secunderabad
Benefits to public	The proposed Doubling of track between Medchal – Mudkhed Section in Ramareddy Mandal of Kamareddy Division, Kamareddy District portion is expected to improve connectivity as well as increase employment. (Regarding financial, employment, infrastructure, facilities and other benefits).

[F. No. W.Con.182/SRP-06/MUE-DHNE/23-24/247/20A/21092026]

B.KRISHNA REDDY, Chief Engineer/Con-III